

पत्र संख्या : ८८/४७०१ यो०ज०स०- १३/२०१२ - १९९

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रॉची/हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: २२-२-१३

विषय :- मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष-६७-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण, विस्तृत शीर्ष-०७-अन्य व्यय ५९ अन्य व्यय, विपत्र कोड-४९P470180800670759 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
१	२	३	४	५
१.	४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य	८००-अन्य व्यय / ६७-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण	०७-अन्य व्यय ५९ अन्य व्यय, ४९P470180800670759	९.९११४

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ नौ लाख एक्यानबे हजार एक सौ चालीस मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध रु. १७५.०० लाख (एक करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट १ पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिषेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

११०४/

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

४४४

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)४४४
(वि. सी. निगम)
विशेष सचिव

११

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

लि

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

। ९९

रॉची, दिनांक :- २२-२-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/हजारीबाग/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

लि

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

। ९९

रॉची, दिनांक :- २२-२-१३

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

१.१.४६

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

४४६

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

११२

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

लि

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगात परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय,
उप शीर्ष-67-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकण,
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, 49P470180800670759
वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 175.00 लाख (एक करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.प्रमाणल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2012 तक का	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	पूर्व का अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	अन्युक्ति	
			प्रसंग	राशि							
			2	3	4	5	6	7	8	9	
1 गुण नियंत्रण प्रमाणल, रॉची।	रॉची	विभिन्न तरह के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्य / विभिन्न नियों पर गोज डिस्चार्ज के पारिश्रामिकादि का मापन कार्य / दो परामर्शियों तेरुधाट बौध प्रमाणल, तेरुधाट	प्र०संग 12-13 प्र०संग 08 / दिनांक-09.06.2012	350.00	0.0000	0.0000	7.6000	7.6000	350.00	350.00	अतिरिक्त आवंटित राशि डोरण्डा, रॉची अवधित रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रॉची के कार्यालय प्रागं में भवन निर्माण के संबंध में डी०पी०आ० तैयार करने एवं चिन्हित परामर्शी का भुगतान हेतु।
2	हेजारीबाग	गवई बराज योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु डी०पी०आ० तैयार करने हेतु।	प्रधान सचिव	भुगतान	0.0000	1.1000	2.3114	3.4114	1.1000	9.9114	गवई बराज योजना - ₹ नौ लाख एक्यानवे हजार एक सौ चालीस मात्र।
			कुल योगा		1.1000	9.9114	11.0114				

११०७(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(सुबोध कुमार सिन्धु)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव(एस० के० शातपथी)
प्रधान सचिव